

NOC LETTER

Registration no: (2221308202172901062082) Date: (0) Valid till: (0)



जिला शिक्षा प्रदाधिकारी कार्यालय | BEGUSARAI
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना

पत्रांक - 1466

प्रमाण पत्र दिनांक - 01.07.2022



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Elite International School

Ward 16

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधायक के विषय 11 के अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय की प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र ।

प्रस्ताव

आपने आदेश सं 21 दिनांक 25.07.2021 और उसके क्रम में आपने किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विस्तृत विवरण के द्वारा विद्यालय में किये गए विद्यालय के आलोक में आपके विद्यालय Elite International School, Ward 16, Augan, 851120 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु सैन वर्ष 0 से 29.7.2022 अर्थात् के लिए औपचारिक प्रसिद्धि प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसिद्धि निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसिद्धि किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 से बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पटोल के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को करने तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णतः तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इन वर्गक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केटिग 2 में उल्लेख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत में निर्धारित शर्तों को पालना। प्रतिपूर्ति को अनिवार्य रूप से प्रदत्त के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. कोसवैटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन वगैरह नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीकृत टैट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अर्थात् के बाद तक धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि बच्चों या दुसरे से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

- (a) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विस्थापित किया जाएगा।
- (b) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का वार्षिक टैड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से पराजित नहीं किया जाएगा।
- (c) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (d) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के अंतर्गत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (e) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (f) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित अनुक्रम घोषणा के अनुपालन किया जाएगा।
- (g) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेगे।



NOC LETTER

(viii) शिक्षा किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में सहाय नहीं होते।

8. विद्यालय के डायरेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रावधानों का अनुसरण करेंगे।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अलावा में उपलब्ध सुविधाओं के अनुयायिक रूप से छात्रों का सम्मान करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निर्देशन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः-

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 154 ac डिग्नित

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 154 ac डिग्नित

(iii) क्षेत्र के मैदान का क्षेत्र :- School Building, Playground, Toilets, Handpumps, Computer Lab, Staff Rooms, Staff Class, Security Guard Room, Vehicle Parking, Garden

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 30

(v) प्रधानाचार्यक-सह कार्यालय सह-भेदाय कक्ष :- 4

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग बौध्दालय :- Indian, Boys :- 8, Girls :- 5

(vii) वेपनरत की सुविधा :- 5

(viii) वायाड भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) वायाडित चरुईध () :-

(x) शिक्षण अधिनियम समन्वी शैल कुद उपकरण पुनकालय :- Charts, Slides, Prints, Digital Library, Videos, Math Tables, Scientific Instruments, Computer Lab, Globe, Kids - Swing, Slides, merry Go round, Seesaw Cricket Bat, Ball, Football, Volleyball, Badminton, Carrom, Chess, Flying Disc, (Y, 457, NewsPaper MagaZine - 3)

11. कोई भी अवरुद्धीकृत संकाय विद्यालय परिसर में वा बाहर विद्यालय के नाम से सहायित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सहायकारी अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षण तथा शौर्यत विकास के लिये होगा।

13. विद्यालय रोलसॉर्टी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्वाहित रोलसॉर्टी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अहत संहिता किसी प्रतिक दृष्ट के संसाधन में सहायित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, लागू अथवा व्यक्तियों के लय अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये सहायित नहीं होगा।

15. लेखा का अकेलन एवं उररका प्रमाणीकरण सॉर्टेड एकाउन्टे के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अलावा में उपरुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। उपरोक्त लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मिला शिक्षण अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को अंतर्गत प्रसवीकृति कोड संख्या [2221308202172901062082, 2021] है। इस कार्यालय में किसी प्रकार का परावार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, किला शिक्षण पदाधिकारी के द्वारा समय-समय 'मीग किए गए प्रसिडेसन एवं मुलाकरी, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर में प्रसवीकृति की धारा के अंतर्गत रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संभालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्णय अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि रोलसॉर्टी के निर्वाहन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुपलब्ध वा के रूप में सहाय अन्य सॉर्टे



Handwritten mark or signature.

Handwritten signature and date: 07/22

शिक्षण सहायक

Ho/-

किला शिक्षण पदाधिकारी, BEGUSARAI
शिक्षण विभाग, बिहार सरकार